

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector -----

No 70

Dated 14/5/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.150 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudraprayag for the Construction of Javari To Jaykandi (8.00 Km) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of ~~Jaykandi~~..... village in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.150 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Euc:- As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Raghav Langar I.A.S deputy commissioner, Rudraprayag, on dated 14.5.15 at time ... 2.00 PM at Rudraprayag in which application claiming rights in forest... area measuring ... 3.150... hect for the construction of Javari To Jaykandi (8.00 Km) forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of .S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Rudraprayag

Dated: 14/5/15

Raghav
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 3.150 हे० सिविल एवं सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.150 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ... ऊखीमठ) की दिनांक 08-05-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री यू०एस० चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1- | श्री <u>उत्तम सिंह चौहान</u> | उपजिलाधिकारी ऊखीमठ | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>अनुराग शर्मा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग | सदस्य |
| 3- | श्री <u>सहायक समाज कल्याण अधिकारी</u> | | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>प्रमिला भण्डारी</u> | बी०डी०सी० <u>ऊखीमठ</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्गपरियोजना हेतु 3.150 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अर्न्तगत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्गपरियोजना के निर्माण हेतु 3.150 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ऊखीमठ

जनपद- रुद्रप्रयाग

No- 18/ST-विधि/2015 दि 08-05-2015
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी

रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग

रुद्रप्रयाग

प्रमिला भण्डारी

सदस्य

क्षेत्र पंचायत-कण्डारा

वि.सं.अगस्तमुनि परिक्षेत्र

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ऊखीमठ

रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, जावरी जयकण्ठी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.50 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जयकण्ठी
तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जावरी से जयकण्ठी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य वन आरक्षित वन भूमि, हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे० 3.65 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयकण्ठी द्वारा दिनांक 22/04/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विचार-चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपास्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परस्परगत अधिकारों का हमन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान/सरपंच
ग्राम मुख्यालय-जयकण्ठी
विकास खण्ड-ऊखीमठ

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



पृष्ठ 30.4

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्ठी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.50 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम काँटी (जावरी)
तहसील ऊखीमठ जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जावरी से जयकण्ठी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शुद्ध आरक्षित वन भूमि, हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शुन्य हे० 3.05 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल हे० 3.05 वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत काँटी (जावरी) द्वारा दिनांक 18/04/04 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

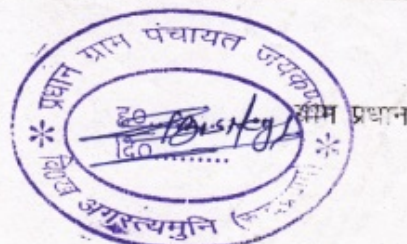


प्रपत्र 30.5

दिनांक 22/04/2018 को ग्राम सभा की सपना बैंक को उपस्थिति

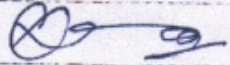
ग्राम पंचायत जयनगरी

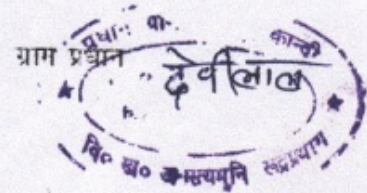
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	डबल सिंह नेगी	डबल सिंह
2	हुसम सिंह नेगी	हुसम सिंह
3	नरेन्द्र सिंह नेगी	M.S. Singh
4	सोहन सिंह नेगी	सोहन सिंह
5	रुद्रपाल सिंह नेगी	K.S. Singh
6	प्रेम सिंह नेगी	प्रेम सिंह
7	गजपाल सिंह नेगी	Gajpal Singh
8	विजय पाल सिंह	विजय पाल
9	कमल सिंह नेगी	कमल सिंह
10	प्रताप सिंह रावत	P.S. Rawat
11	पूर्ण सिंह रावत	पूर्ण सिंह
12	जगदीश सिंह रावत	जगदीश सिंह
13	राजवर सिंह - चौहान	Rajwar
14	मदन सिंह जगवाज	मदन जगवाज
15	कुम्हार सिंह नेगी	कुम्हार सिंह
16	कुल्लि पाल	K.S. Pali
17	वै कृष्ण पन्ना	K.S. Panna
18	देव सिंह नेगी	देव सिंह



दिनांक 18/04/015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कांढी (जावरी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चरणसिंह राय	
2	मोहनसिंह राय	मोहनसिंह राय
3	नारायणसिंह	नारायणसिंह राय
4	शमशेर सिंह नेनी	शमशेर नेनी
5	दुर्गादास सिंह नेनी	दुर्गादास सिंह नेनी
6	गुमानसिंह	गुमान सिंह
7	रघुनीरसिंह	रघुनीर सिंह
8	बबनसिंह	बबन सिंह
9	रणवीरसिंह	रणवीर सिंह
10	गोकुलसिंह	गोकुल सिंह
11	फतेहसिंह राय	फतेह सिंह
12	कुंवरसिंह	कुंवर सिंह
13	कलभसिंह	Kalamb Singh
14	वीरसिंह राय	BS Singh
15	नितीश सिंह	Nish Singh
16	विक्रमसिंह	विक्रम सिंह
17	जगदीशसिंह	जगदीश सिंह
18	सखीरसिंह राय	M. Singh

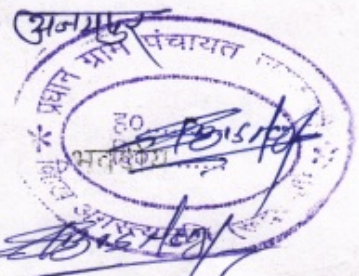


अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रुद्रप्रयाग जाबरी से जयकण्डी अजयपुर मोटर मार्ग स्टेज-1 के निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिरपोजल हेतु प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

गम पंचायत जम्मावरी आरक्षित अजयपुर

बन्धुपूजा देवी
स्वतन्त्रता देव
चण्डी घसाह
चेतना
रावेन्द्र सिंह
गारामनाथ
जसपाल सिंह
पूरा सिंह
जीमनाथ सिंह
पार्वती देवी
देवी देवी
प्रेम सिंह
प्रेम सिंह
वरदेवी देवी
विजय सिंह
कमल सिंह
रजनीत सिंह
डन सिंह
कमल सिंह
गजपाल सिंह
लखपत सिंह
महेश्वर



सी. ए. सिंह
अजयपुर
देवी देवी देवी
वीरेश्वर सिंह
बुद्धि लाल

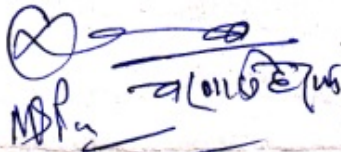
- 1) पतिम्वर देव
- 2) स्वतन्त्रता देव
- 3) चण्डी घसाह
- 4) चैतन्य
- 5) रावेन्द्र सिंह
- 6) नरामण सिंह
- 7) भस्म सिंह
- 8) जसपाल सिंह
- 9) पूर्ण सिंह
- 10) अमराज सिंह
- 11) पार्वती देवी
- 12) देव सिंह
- 13) प्रेम सिंह
- 14) प्रेम सिंह
- 15) वरदेवी देवी
- 16) विजय सिंह
- 17) कमल सिंह
- 18) रजनीत सिंह
- 19) डन सिंह
- 20) कमल सिंह
- 21) गजपाल सिंह
- 22) लखपत सिंह
- 23) महेश्वर
- 24)

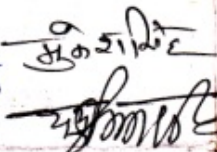
अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रूद्रप्रयाग जाबरी से जयकण्डी अजयपुर मोटर मार्ग स्टेज-1 के निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर अभिवाही -

भवदीय


कलम सिंह नेगी


कलम सिंह नेगी



कलम सिंह नेगी
वचनारोह
वीर-सिंह राय

शिवदीर सिंह
महावीर सिंह

रमेश सिंह
गुमान सिंह

Kalam Singh Negi

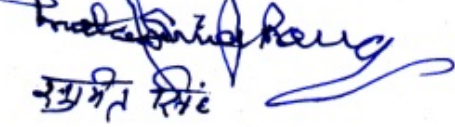
जोबुसिंह

राजेश सिंह

बलवीर सिंह राणा

म.स.स.

बलवीर सिंह (सोनेवा)


कलम सिंह नेगी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत प्रस्तावित चौदरगाम
- जावरीसे जमकण्डी अजयपुर कुणजेडी चौदरगाम के निर्माण
के लिए जो श्रुति / गिराव / नाप व वेनापक डिपोजिट हेतु
प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन में कोई छात्री
- श्रुति स्वीकृत की जाती है, तो ग्राम वाली जावरी व
ग्राम पंचायत कच्ची को कोई आपत्ति नहीं है,
- इस कलेमान दिनांक पर दोरें घर अपनी
- श्रुति जंगल सखी देने को तैयार है,

